न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 1276/2021

अनवान : –

1. हाकम अली पुत्र मुश्तकीम जाति मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. रजाक पुत्र मुश्तकीम जाति मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. अल्लीमोहम्मद पुत्र मश्तकीम जाति मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. आमीन पुत्र मुश्तकीम जाति मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर।
4. मकबूल पुत्र मुश्तकीम जाति मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर।
5. मजीद पुत्र मुश्तकीम जाति मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर।
6. हरीशखान पुत्र रफीक जाति मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता **वादी**

पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 01/08/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक सरदारपुरा तहसील नोहर के खाता स0 213/221 की कुल 5.1220 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादीगण व प्रतिवादगण ने वादी भूमि का बाहमी बंटवारा कर रखा है मुताबिक बंटवारा ख0न0 9 में पश्चिम की तरफ रजाक के पास 0.32033 हैक्ट ख0न0 9/1 रजाक के पूर्व में मजीद के पास 0.32033 हैक्ट, ख0न0 9/2 मजीद के पूर्व में मकबूल के पास 0.32033 हैक्ट, ख0न0 9/3 मकबूल के पूर्व में आमीन के पास 0.32033 हैक्ट, ख0न0 9/5 अलीमोहम्मद के पूर्व में हाकमअली के पास 0.32032 हैक्ट, ख0न0 14 के उत्तर तरफ की मकबुल के पास 0. 53333 हैक्ट तथा मकबुल के दक्षिण में ख0न0 14/1 की 0.53333 हैक्ट मजीद के पास तथा मजीद के दक्षिण में 14/2 की 0.53335 हैक्ट हाकमअली के पास रहेगी तथा 14/3 की हाकमअली के दक्षिण में 0.53333 हैक्ट रजाक के पास रहेगी तथा 14 /4 की रजाक के दक्षिण में 0.53333 हैक्ट आमीन के पास रहगी तथा 14/5 की आमीन के दक्षिण में 0.532333 हैक्ट अलीमोहम्मद के पास रहेगी इसी अनुसार जमाबंदी व नक्शे अलग अलग दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई बार कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा दे परन्तु वे दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.12 18:37:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादीगण ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 7 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादीगण ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वाद भूमि बाबत पक्षकारान का बाहमी बंटवारा हो चुका है एवं मुताबिक बंटवारा ही सभी पक्षकार काबिज है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में किसी को कोई ऐतराज नही है। अतः वाद वादीगण डिक्री फरमावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति/खाता विभाजन का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही रोही मौजा चक सरदारपुरा तहसील नोहर के खाता स0 213/221 की कुल 5.1220 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का कथन है कि उक्त वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वाद भूमि बाबत पक्षकारान का बाहमी बंटवारा हो चुका है एवं मुताबिक बंटवारा ही सभी पक्षकार काबिज है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.12 18:37:11 IST
Reason: SelfAttested

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तथा रोही मौजा चक सरदारपुरा तहसील नोहर के खाता स0 213/221 की कुल 5.1220 हैक्ट भूमि में खसरा न0 14 की 0.

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

53333 हैक्ट भूमि एवं ख0न0 9/2 की .32114 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी स0 4 को, ख0न0 14/1 की 0.53333 हैक्ट भूमि एवं ख0न0 9/1 की .32114 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी स0 5 को, खसरा न0 14/2 की 0.53335 हैक्ट भूमि का वादी को, 14/3 की 0.53333 हैक्ट भूमि व 9 की .32114 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी स0 1 को, ख0न0 14/4 की 0.53333 हैक्ट भूमि व ख0न0 9/3 की .32114 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी स0 3 को, ख0न0 14/5 की 0.53333 हैक्ट भूमि व ख0न0 9/4 की .32114 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी स0 2 को तथा ख0न0 9/5 की .31630 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी स0 6 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जताा है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर यथावत रखते हुए तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार मुताबिक नजरीया नक्शा तरमीम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01/08/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.12 18:37:11 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 1276/2021

अनवान : –

1. हाकम अली पुत्र मुश्तकीम जाति मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. रजाक पुत्र मुश्तकीम जाति मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. अल्लीमोहम्मद पुत्र मश्तकीम जाति मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. आमीन पुत्र मुश्तकीम जाति मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर।
4. मकबूल पुत्र मुश्तकीम जाति मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर।
5. मजीद पुत्र मुश्तकीम जाति मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर।
6. हरीशखान पुत्र रफीक जाति मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 687 सन 2023 निर्णय दिनांक 01/08/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री मांगेराम गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक सरदारपुरा तहसील नोहर के खाता स0 213/221 की कुल 5.1220 हैक्ट भूमि में खसरा न0 14 की 0.53333 हैक्ट भूमि एवं ख0न0 9/2 की .32114 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी स0 4 को, ख0न0 14/1 की 0.53333 हैक्ट भूमि एवं ख0न0 9/1 की .32114 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी स0 5 को, खसरा न0 14/2 की 0.53335 हैक्ट भूमि का वादी को, 14/3 की 0. 53333 हैक्ट भूमि व 9 की .32114 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी स0 1 को, ख0न0 14/4 की 0. 53333 हैक्ट भूमि व ख0न0 9/3 की .32114 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी स0 3 को, ख0न0 14/5 की 0.53333 हैक्ट भूमि व ख0न0 9/4 की .32114 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी स0 2 को तथा ख0न0 9/5 की .31630 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी स0 6 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जताा है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर यथावत रखते हुए तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार मुताबिक नजरीया नक्शा तरमीम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 01/08/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.12 18:37:11 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर